



2026:AHC: 165890

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक पुनरीक्षण संख्या - 1366 वर्ष 2026

देवांशु उर्फ छोटू

.....पुनरीक्षणकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और एक अन्य

.....विपक्षी(गण)

पुनरीक्षणकर्ता(गण) के अधिवक्ता

: कामेश्वर सिंह, सुधांशु कुमार सिंह

विपक्षी(गण) के अधिवक्ता

: शासकीय अधिवक्ता, राहुल अग्रवाल, विश्व प्रताप

सिंह

न्यायालय संख्या - 86

माननीय न्यायमूर्ति अचल सचदेव

1. सूची दोबारा पुकारा गया।
2. पुनरीक्षणकर्ता की ओर से कोई उपस्थित नहीं है।
3. हालांकि, विपक्षी संख्या 2 के विद्वान अधिवक्ता श्री राहुल अग्रवाल और राज्य के लिए विद्वान ए.जी.ए. उपस्थित हैं।
4. वर्तमान पुनरीक्षण याचिका की सुनवाई पुनरीक्षणकर्ता के विद्वान अधिवक्ता की अनुपस्थिति में आगे बढ़ेगी।
5. वर्तमान पुनरीक्षण, पुनरीक्षणकर्ता द्वारा अपर प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, गौतम बुद्ध नगर द्वारा वाद संख्या 63/2019, श्रीमती शीतल उर्फ प्रियंका बनाम देवांशु उर्फ छोटू अंतर्गत धारा 125 द.प्र.सं., थाना- नॉलेज पार्क, जिला- गौतम बुद्ध नगर में पारित निर्णय और आदेश दिनांक 30.03.2024 से व्यथित होकर दाखिल किया गया है, जिसके द्वारा विचारण न्यायालय ने आवेदिका (यहां विपक्षी संख्या 2) द्वारा दाखिल प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर लिया और प्रार्थना

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



पत्र दाखिल करने की तिथि से 20,000/- रुपये प्रतिमाह की राशि प्रदान की, जिसका भुगतान निर्णय की तिथि से तीन महीने के भीतर किया जाना है और निर्णय की तिथि से पुनरीक्षणकर्ता द्वारा भुगतान किए जाने वाले 20,000/- रुपये प्रतिमाह का भरण-पोषण भी प्रदान किया।

6. संक्षेप में वाद के तथ्य यह हैं कि आवेदिका का विवाह विपक्षी के साथ 24.07.2017 को हिंदू रीति-रिवाजों के अनुसार ग्राम- तुगलकपुर, थाना- नॉलेज पार्क, जिला- गौतम बुद्ध नगर में संपन्न हुआ था, और उसके पिता ने विवाह पर काफी खर्च किया था और अपनी हैसियत के अनुसार दहेज दिया था; हालांकि, विपक्षी और उसका परिवार संतुष्ट नहीं थे और बार-बार अतिरिक्त दहेज की मांग की, जिसमें एक स्विफ्ट कार और 100 वर्ग गज का प्लॉट शामिल था, और उसे लगातार उत्पीड़न, दुर्व्यवहार और शारीरिक हमले का शिकार बनाया। मांगों के बारे में अपने माता-पिता को सूचित करने और इस उम्मीद में दुर्व्यवहार सहने के बावजूद कि स्थिति में सुधार होगा, उत्पीड़न जारी रहा और कथित तौर पर विपक्षी और उसके परिवार ने उसकी दूसरी शादी करने की धमकी दी और उसे वैवाहिक घर में रखने से इनकार कर दिया। 30.03.2018 को, कथित तौर पर विपक्षी और उसके परिवार के सदस्यों ने आवेदिका के साथ गंभीर रूप से मारपीट किया और उसे बंधक बना लिया, जिसके बाद 02.04.2018 को वह पुलिस को सूचित करने में सफल रही, जो उसे पुलिस स्टेशन ले आई, कथित तौर पर उसे माफीनामा लिखने के लिए विवश किया और उसके पश्चात उसे छोड़ दिया। 02.04.2018 से, वह अपने मायके में रह रही है, जहां वह पूरी तरह से अपने वृद्ध और आर्थिक रूप से कमजोर पिता पर आश्रित होने का दावा करती है, जबकि विपक्षी और उसके परिवार ने उसका स्त्रीधन अपने पास रख लिया है और न तो उसका हालचाल जानने का कोई प्रयास किया है और न ही उसे भरण-पोषण प्रदान किया है। प्रार्थना पत्र में आगे यह भी कहा गया है कि विपक्षी एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है जो लगभग 70,000/- रुपये प्रतिमाह कमाता है और उसके व उसके परिवार के पास विभिन्न संपत्तियां और व्यवसाय हैं, जिसमें पेंट और हार्डवेयर की दुकान, किराए के परिसर, एक घर, दुकानें, लगभग 20 बीघा जमीन और दो खाली प्लॉट शामिल हैं, जिससे कथित तौर पर लगभग 2,00,000/- रुपये प्रतिमाह की आय होती है, और इसलिए, वह आर्थिक रूप से उसका भरण-पोषण करने में सक्षम है। चूंकि आवेदिका की आय का कोई स्वतंत्र स्रोत नहीं है और वह पूरी तरह से अपने पिता पर आश्रित है, इसलिए उसने विपक्षी से 30,000/- रुपये प्रतिमाह के भरण-पोषण का दावा किया है।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



7. विपक्षी संख्या 2 के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क प्रस्तुत किया है कि पुनरीक्षणकर्ता कई तिथियों पर पुनरीक्षण पर बल देने में विफल रहा है और विचारण न्यायालय द्वारा दिए गए इस आशय के निर्देश के बावजूद कि पुनरीक्षणकर्ता प्रत्येक माह की 10 तारीख तक विपक्षी संख्या 2 को दी गई राशि का भुगतान करेगा, भरण-पोषण के लिए किसी राशि का भुगतान नहीं किया है। यह आगे प्रस्तुत किया गया है कि आक्षेपित आदेश में कोई ऐसी अवैधता नहीं है, जो इस न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप को आवश्यक बनाती हो।

8. अभिलेख का परिशीलन किया गया।

9. विचारण न्यायालय ने आवेदिका और विपक्षी द्वारा किए गए तर्कों के आधार पर, निम्नलिखित पांच विवादक विरचित किए हैं:-

- (i) क्या आवेदिका विपक्षी की कानूनी रूप से विवाहित पत्नी है?
- (ii) क्या आवेदिका उचित और पर्याप्त कारणों के आधार पर विपक्षी से अलग रहने के लिए विवश है?
- (iii) क्या आवेदिका अपना भरण-पोषण करने में असमर्थ है?
- (iv) क्या विपक्षी भरण-पोषण प्रदान करने के लिए पर्याप्त धनवान है और अपनी हैसियत के अनुसार आवेदिका का भरण-पोषण नहीं कर रहा है? यदि हां, तो विपक्षी द्वारा कितना भरण-पोषण भुगतान किया जाना चाहिए?
- (v) आवेदिका कब से भरण-पोषण प्राप्त करने की हकदार है?

10. आवेदिका और विपक्षी का विवाह 24.07.2017 को हिंदू रीति-रिवाजों के अनुसार हुआ था और इस तथ्य से विपक्षी ने इनकार नहीं किया है। आवेदिका का आरोप यह है कि दहेज की मांग को लेकर उसे प्रताड़ित किया जा रहा था और उसके साथ क्रूरता का व्यवहार किया जा रहा था। आवेदिका ने कहा है कि 02.04.2018 से, वह अपने मायके में रह रही है, जहां वह पूरी तरह से अपने वृद्ध और आर्थिक रूप से कमजोर पिता पर आश्रित होने का दावा करती है। आवेदिका ने यह भी कहा है कि विपक्षी और उसके परिवार ने उसका स्त्रीधन अपने पास रख लिया है और न तो उसका हालचाल जानने का कोई प्रयास किया है और न ही उसे भरण-पोषण प्रदान किया है।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



11. विचारण न्यायालय के उपरोक्त निष्कर्ष के परिशीलन से यह स्पष्ट होता है कि कथित दहेज की मांग को लेकर आवेदिका के साथ क्रूरतापूर्ण व्यवहार किया गया था और चूंकि उसने अपना वैवाहिक घर छोड़ दिया था, इसलिए विपक्षी ने अपनी पत्नी को भरण-पोषण राशि प्रदान नहीं की है और विचारण न्यायालय ने यह निष्कर्ष निकाला है कि आवेदिका के पास अपने पति से अलग रहने का पर्याप्त कारण है। विचारण न्यायालय ने विवादक संख्या (ii) और (iii) को तय करने में सही निष्कर्ष निकाला है और जहां तक विवादक संख्या (iv) का संबंध है, विचारण न्यायालय ने सही अभिनिर्धारित किया है कि विपक्षी अपनी हैसियत के अनुसार आवेदिका का भरण-पोषण नहीं कर रहा है जैसा कि उसके द्वारा दाखिल किए गए दस्तावेजों से स्पष्ट है।

12. अपनी पत्नी और नाबालिग बच्चे का भरण-पोषण करना पति का नैतिक कर्तव्य और सामाजिक उत्तरदायित्व है। अपनी पत्नी और नाबालिग बच्चे का भरण-पोषण करने का पति का कर्तव्य न केवल विधिक दायित्व का विषय है, बल्कि सामाजिक और नैतिक जिम्मेदारी भी है, और यह वहां अधिक महत्व रखता है जहां पत्नी की आय का अपना कोई स्रोत नहीं है। उसके पति का समर्थन परिवार की इकाई को बनाए रखता है, यह सुनिश्चित करता है कि पत्नी और बच्चों को हाशिए पर न धकेला जाए या गरीबी में न धकेला जाए, और समाज पति को प्रदाता के रूप में देखता है तथा इस भूमिका की उपेक्षा अक्सर सामाजिक अस्वीकृति और कलंक की ओर ले जाती है। विवाह देखभाल और संरक्षण का एक नैतिक बिंदु बनाता है, और पति अपनी पत्नी की गरिमा और भलाई की रक्षा करने तथा नाबालिग बच्चे के लिए भरण-पोषण प्रदान करने के लिए नैतिक रूप से बाध्य है। यह प्रेम, करुणा और जिम्मेदारी में निहित मौलिक कर्तव्य है, और विधि व रीति-रिवाजों से भी परे, यह उन लोगों की पीड़ा को रोकने के लिए अंतरात्मा का विषय है जो उस पर आश्रित हैं। भरण-पोषण का अधिकार दान का विषय नहीं है, बल्कि वैवाहिक बिंदु और माता-पिता के कर्तव्य से प्रवाहित होने वाला एक वैधानिक अधिकार है। एक नैसर्गिक अभिभावक और प्रदाता होने के नाते पति का यह सुनिश्चित करने का सामाजिक और साथ ही नैतिक उत्तरदायित्व है कि पत्नी और बच्चे को घोर दरिद्रता का सामना न करना पड़े और भरण-पोषण कोई उपहार नहीं है, बल्कि एक अधिकार है और इससे इनकार करने से पत्नी को बेसहारापन का जीवन जीने के लिए विवश होना पड़ेगा जिसे विधि स्वीकार नहीं कर सकती। दायित्व केवल वैधानिक आदेश में ही नहीं, बल्कि

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



पारिवारिक, वैधानिक और सामाजिक व्यवस्था दोनों की उपेक्षा को रोकने के लिए समाज की अंतरात्मा में निहित है।

13. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **भुवन मोहन सिंह बनाम मीना, (2015) 6 एस.सी.सी. 353** में इस बात पर जोर दिया है कि भरण-पोषण सामाजिक न्याय का एक उपाय है और इसका उद्देश्य आवारागर्दी और बेसहारापन को रोकना है, जबकि **चतुर्भुज बनाम सीताबाई, (2008) 2 एस.सी.सी. 316** के वाद में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह अवलोकन किया है कि भरण-पोषण का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि पत्नी दरिद्रता में न छूटे और पति की जिम्मेदारी विवाह की स्थिति से ही प्रवाहित होती है। इस प्रकार विधि यह मान्यता देती है कि पति का कर्तव्य सामाजिक चेतना और नैतिक जिम्मेदारी में निहित है और इससे इनकार करना पारिवारिक स्थिरता और सामाजिक व्यवस्था दोनों को कमजोर करेगा।

14. राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का अनुच्छेद 39(ए) और (एफ) नागरिकों को आजीविका के पर्याप्त साधनों का अधिकार देता है और बच्चों को स्वस्थ तरीके से विकसित होने के अवसर दिए जाते हैं तथा द.प्र.सं. की धारा 125 / बी.एन.एस.एस. की धारा 144 में अंतर्विष्ट भरण-पोषण के प्रावधान इन निर्देशों को क्रियान्वित करते हैं। भारत के संविधान का अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को समाहित करता है, जिसमें गरिमा के साथ जीने का अधिकार शामिल है और भरण-पोषण से इनकार करना जो पत्नी को दरिद्रता में धकेलता है, इस संवैधानिक गारंटी का उल्लंघन है। अनुच्छेद 15(3), 21 और 39 में समाहित संवैधानिक लोकाचार यह अनिवार्य करता है कि पत्नी और नाबालिग बच्चे का भरण-पोषण करने के पति के दायित्व को केवल एक वैधानिक कर्तव्य के रूप में नहीं, बल्कि सामाजिक न्याय के एक पहलू के रूप में समझा जाए। भरण-पोषण यह सुनिश्चित करता है कि पत्नी को बेसहारापन का जीवन जीने के लिए विवश न किया जाए क्योंकि इस तरह का अभाव अनुच्छेद 21 के अंतर्गत गारंटीकृत गरिमा को ठेस पहुंचाएगा। नीति निर्देशक सिद्धांत, विशेष रूप से, अनुच्छेद 39 और 41 प्रावधान के विशेष उद्देश्य को सुदृढ़ करते हैं जिससे पति की जिम्मेदारी राष्ट्र की संवैधानिक अंतरात्मा को स्थापित करने में निहित हो जाती है। **चतुर्भुज (उपरोक्त)** के वाद में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अवलोकन किया है कि भरण-पोषण दरिद्रता को रोकने का अधिकार है और यह उपेक्षा के प्रमाण पर सशर्त नहीं है।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



15. विचारण न्यायालय ने आक्षेपित आदेश पारित करते समय इस तथ्य पर भी विचार किया है कि आवेदिका के पास आय का कोई स्रोत नहीं है जबकि विपक्षी के पास अपनी पत्नी का भरण-पोषण करने के लिए पर्याप्त साधन हैं। इसलिए, आक्षेपित आदेश बहुत ही तर्कसंगत और न्यायोचित है।

16. पूर्वगामी चर्चा के प्रकाश में, अपर प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, गौतम बुद्ध नगर द्वारा वाद संख्या 63/2019, श्रीमती शीतल उर्फ प्रियंका बनाम देवांशु उर्फ छोटू अंतर्गत धारा 125 द.प्र.सं., थाना- नॉलेज पार्क, जिला- गौतम बुद्ध नगर में पारित आक्षेपित निर्णय और आदेश दिनांक 30.03.2024 में इस न्यायालय द्वारा किसी भी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। वर्तमान पुनरीक्षण खारिज किए जाने योग्य है।

17. तदनुसार, वर्तमान आपराधिक पुनरीक्षण एतद्वारा **खारिज** किया जाता है।

7 अगस्त, 2026

के.एस.

(न्यायमूर्ति अचल सचदेव)

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”